

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नः 0141- 2700870

E-mail- rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांक - रास्कूलशिप/जय/वे.शि./2018-19/ 6037

दिनांक :- 21/11/18

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2018-19

राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9-12

एवं

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 6-12 की बालिकाओं हेतु

1.0 प्रस्तावना

- 1.1 वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत एवं निःशुल्क साइकिल अप्राप्त बालिकाएं जो 5 किमी से अधिक दूरी से आ रही हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वॉछित संकाय/विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन हेतु उनके निवास स्थान से 5 किमी. से अधिक दूरी से आने पर अधिकतम 20 रूपये प्रति छात्रा प्रति विद्यालय उपस्थिति दिवस या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत बालिका एकल व सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का लाभ ले सकती है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित करायी जा रहा है। छात्रा उक्त दोनों योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।
- 1.2 राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है।
- 1.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में आसपास के गांवों/ढाणियों से कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाएं भी अध्ययन हेतु आती हैं।
- 1.4 पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- 2.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता
- 2.1 ग्रामीण क्षेत्र के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएँ।
- 2.2 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएँ।
- 2.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्नलिखित श्रेणी की बालिकाएँ योजना के लाभ हेतु पात्र होगी।
- उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाएँ।
 - उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाएँ।
- 2.4 साईकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली बालिकाएँ इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

3.0 ट्रांसपोर्ट योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर

- ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु:-

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 11 से 12	5 किमी से अधिक	20 रुपये

- ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु:-

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	20 रुपये

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु-

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 6 से 8	2 किमी. से अधिक	20 रुपये
कक्षा 9 से 12	5 किमी. से अधिक	25 रुपये

4.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन

- 4.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं जिला स्तर पर एडीपीसी, माध्यमिक तथा विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा किया जावेगा।
- 4.2 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।
- 4.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से अपने स्तर पर बिन्दू संख्या 3 में दर्शायी गई राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।
- 4.4 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में आवेदन प्रपत्र—क प्रस्तुत करने पर छात्राओं को बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

5. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दायित्व निर्धारण

5.1 राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान का दायित्व

- a. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी, माध्यमिक को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- b. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि तीन किशतों में जिलों को प्रेषित की जावेगी। प्रथम किशत— माह अप्रैल से जून, द्वितीय किशत— माह जुलाई से दिसम्बर एवं तृतीय किशत— माह जनवरी से मार्च देय होगी।
- c. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र बालिकाओं की संख्या एवं शिविरा कलेण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों के अनुसार अग्रिम राशि जिलों को बिन्दु संख्या— 5.1 b अनुसार तीन किशतों में प्रेषित की जावेगी।
- d. जिलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह अप्रैल से जून की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।

- e. जिलों को माह जुलाई से सितम्बर की भेजी जाने वाली राशि माह अप्रैल से जून की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी। माह अक्टूबर से दिसम्बर की भेजी जाने वाली राशि माह जुलाई से सितम्बर की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी। इसी प्रकार माह जनवरी से मार्च की भेजी जाने वाली राशि माह अक्टूबर से दिसम्बर की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।

5.2 डीपीसी/एडीपीसी (रमसा) के दायित्व

- a. एडीपीसी, माध्यमिक द्वारा राशि सीधे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों SDMC/ SMC के खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।
- b. मावि/उमावि को वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह अप्रैल से जून की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।
- c. मावि/उमावि को माह जुलाई से दिसम्बर की भेजी जाने वाली राशि माह अप्रैल से जून की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी एवं इसी प्रकार विद्यालयों को माह जनवरी से मार्च की भेजी जाने वाली राशि माह जुलाई से दिसम्बर की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।
- d. वित्तीय वर्ष 2018-19 का सभी ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

5.3 बीईईओ के दायित्व

- a. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9-12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेंगे।
- b. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी, माध्यमिक को प्रेषित करेंगे।

5.4 संस्थाप्रधान के दायित्व

- a. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पात्र छात्राओं/उनके अभिभावकों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र-क में प्रार्थना पत्र संस्थाप्रधान को प्रस्तुत किया जावेगा।
- b. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन प्रपत्र-क में दिये गये तथ्यों की जाँच कर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देने हेतु आवेदित विद्यार्थियों की सूची प्रपत्र-2 को विद्यालय की SMC/SDMC से अनुमोदित करवाया जायेगा।

- c. संस्थाप्रधान द्वारा सूची प्रपत्र-2 अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जायेगी।
- d. विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा दाता को व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से नियमानुसार किया जावेगा।
- e. यदि छात्राओं द्वारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है तो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा वास्तविक किराया अथवा बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि जो भी कम हो, उस राशि को SDMC/SMC से अनुमोदन पश्चात् विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया जायेगा।
- f. एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा छात्राओं को किया जाने वाला भुगतान उनके भामाशाह खाता/बचत खाते में जमा कराया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जावे।
- g. अनुमोदित वार्षिक बजट 2018-19 के अनुसार कक्षा 9-12 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रति बालिका रूपये 5400/- से अधिक राशि देय नहीं होगी।
- h. एडीपीसी कार्यालय से माह अप्रैल से जून की प्राप्त अग्रिम राशि में से वितरण पश्चात् शेष राशि की सूचना माह जुलाई में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- i. एडीपीसी कार्यालय से माह जुलाई से सितम्बर की प्राप्त अग्रिम राशि में से वितरण पश्चात् शेष राशि की सूचना माह अक्टूबर में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। माह अक्टूबर से दिसम्बर की प्राप्त राशि में से वितरण पश्चात् शेष राशि की सूचना माह जनवरी में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार माह जनवरी से मार्च की प्राप्त राशि में से वितरण पश्चात् शेष राशि की सूचना माह अप्रैल में उपयोगिता प्रमाण-पत्र द्वारा बीईईओ के माध्यम से एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक :- 21/7/18

क्रमांक - रास्कूलशिप/जय/वै.शि./2018-19/ 6038

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक- I/ II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. नियंत्रक वित्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.), समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
7. समस्त बीईईओ/पीईईओ।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

आवेदन प्रपत्र-क

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र (केवल बालिकाओं हेतु)

1. छात्रा का नाम :
2. पिता/अभिभावक का नाम :
3. विद्यालय का नाम :
4. कक्षा :
5. निवास स्थान :
6. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी :
7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :
- i. SDMC/SMC के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हाँ/नहीं
- ii. स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हाँ/नहीं
8. निःशुल्क साइकिल : प्राप्त /अप्राप्त
9. अन्य जानकारी (जो देना चाहे)

(अभिभावक के हस्ताक्षर)

(छात्रा के हस्ताक्षर)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक
(संस्थाप्रधान बीईईओ कार्यालय को प्रेषित करें)

मावि/उमावि का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थानीय विद्यालय को प्राप्त राशि में से विद्यालय की कक्षा 9-12 की पात्र बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि उनकी मासिक उपस्थिति के आधार पर बालिकाओं के खातों में हस्तान्तरित करने पश्चात विद्यालय में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल वितरित राशि	विद्यालय में शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
संस्थाप्रधान

.....

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक

(बीईईओ कार्यालय एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करें)

बीईईओ कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय ब्लॉक के समस्त माध्यमिक विद्यालय/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2018-19 की कक्षा 9-12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.स.	ब्लॉक में कुल मावि/उमावि की संख्या	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्राप्त कुल राशि	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की कुल वितरित राशि	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की कुल शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
बीईईओ

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक

(एडीपीसी कार्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय को प्रेषित करें)

एडीपीसी कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि एडीपीसी कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में कक्षा 9-12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत प्राप्त कुल राशि रू0 में से कुल राशि रू0..... का उपयोग कर लिया गया है एवं कुल राशि रू0 शेष है।

दिनांक:

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर एवं नाम
एडीपीसी, माध्यमिक